<u>न्यायालयः—तृतीय जिला न्यायाधीश कटनी, जिला कटनी (म.प्र.)</u>
<u>(पीठासीन अधिकारी :: नीरज कुमार शर्मा)</u>

<u>नियमित सिविल सूट क्र. 2000001ए / 2015</u>
<u>फाईलिंग नंबर 8500 / 2015</u>
<u>सी.एन.आर.नं.—MP2101.007811.2015</u>
<u>संस्थित दिनांक 18.11.2015</u>

चंद्रकांत पिता स्व. श्री अनूपकुमार गुप्ता उम्र 35 वर्ष, निवासी रघुनाथगंज वार्ड झंडाबाजार कटनी, तहसील व जिला कटनी (म.प्र.)

...............................वादी

—:: विरूद्ध ::—

1. रजनीकांत गुप्ता पिता स्व. श्री अनूप कुमार गुप्ता उम्र 40 वर्ष निवासी गर्ग चौराहा (ओरियंटल बैंक बिल्डिंग), कटनी तहसील मुडवारा, जिला कटनी, (म.प्र.)

2. पंकज गुप्ता पिता स्व. श्री अनूप कुमार गुप्ता उम्र. 37 वर्ष, निवासी झण्डा बाजार रघुनाथगंज कटनी, तहसील मुडवारा, जिला कटनी (म.प्र.)

........................प्रतिवादीगण

....

वादी द्वारा	:	श्री एस.के.द्विवेदी अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा	:	श्री मिथलेश जैन अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्र. 2 द्वारा	:	श्री एम.एल.तिवारी अधिवक्ता।

....

—:: निर्णय ::—

<u>(आज दिनांक 20.07.2026 को घोषित)</u>

1. वादी द्वारा यह वाद, गर्ग चौराहा हीरागंज कटनी स्थित मकान,

जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में अ, ब, स, द अक्षर से एवं लाल रंग से दर्शित किया गया है और झंडा बाजार रघुनाथगंज कटनी स्थित मकान जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में च, छ, ज, झ, ट, ठ अक्षर एवं लाल रंग से दर्शित किया गया है, के संबंध में 1/3 हिस्से का स्वामी घोषित किये जाने और उक्त हिस्से अनुसार विभाजन कराकर पृथक कब्जा दिलाये जाने एवं वसीयतनामा दिनांक 12.10.2012 को शून्य घोषित किये जाने हेतु तथा उक्त संपत्ति के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी चंद्रकांत और प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई है उनके पिता अनूप कुमार गुप्ता थे तथा मां मोहनी गुप्ता थी। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अनूप कुमार गुप्ता एवं मोहनी गुप्ता की मृत्यु हो चुकी है।

3. वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी और प्रतिवादीगण की मां मोहनी गुप्ता के नाम नगर पालिक निगम कटनी में 3 भवन स्थित थे। मोहनी गुप्ता गृहणी थी तथा उनकी स्वतंत्र आय नहीं थी। अनूप कुमार एवं वादी और प्रतिवादीगण तीनों भाईयों का संयुक्त व्यवसाय था और झंडा बाजार कटनी लल्ला भंडार के नाम से मिठाई नमकीन भोजन की प्रसिद्ध होटल थी और उससे प्राप्त आय से मां मोहनी गुप्ता के नाम पर गर्ग चौराहा हीरागंज स्थित मकान क्रय किया गया था। संयुक्त परिवार की आय से ही सावरकर वार्ड कटनी में मां के नाम से एक मकान क्रय किया गया था। गर्ग चौराहा स्थित मकान को दावे के साथ संलग्न नक्शे में अ, ब, स, द अक्षर से दर्शित किया गया है और सावरकर वार्ड स्थित भवन को क, ख, ग, घ अक्षर से दर्शित किया गया है। एक भवन झंडा बाजार कटनी में है जो पैतृक है और पिता के नाम पर था पिता की मृत्यु के पश्चात् कर अदायगी की सुविधा की दृष्टि से वादी और प्रतिवादीगण की सहमति से नगर पालिक निगम कटनी में मां का नाम दर्ज किया गया था जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में च, छ, ज, झ अक्षर से दर्शित किया गया है। वर्तमान मामले में गर्ग चौराहा एवं झंडा बाजार रघुनाथगंज वार्ड स्थित भवन विवादित है।

4. वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र में यह अभिवचन भी किया गया

है कि मां की मृत्यु दिनांक 21.12.2012 को निर्वसीयती हुई है। झंडा बाजार स्थित भवन में वादी का जन्म से सहदायिकी अधिकार है और उसने अपने हक का अंतरण मोहनी देवी के पक्ष में कभी नहीं किया। सिर्फ कर अदायगी हेतु मां का नाम नगर पालिक निगम में दर्ज हुआ था। पिता के निधन के बाद उक्त भवन में वादी प्रतिवादीगण और मोहनी देवी का 1/4–1/4 हिस्सा था और मां की मृत्यु के बाद उस भवन में सभी का 1/3–1/3 हिस्सा है। मां ने दिनांक 12.10.2012 को कोई वसीयत निष्पादित नहीं की। प्रतिवादीगण ने वादी को छोटा समझकर और विश्वास दिखाकर कि तीनों भाई मां की संपत्ति का बराबर बराबर हिस्सा करेंगे, मां द्वारा दिनांक 12.10.2012 की वसीयत की बात बताई और वादी ने अपने बडे भाईयों पर अविश्वास नहीं किया और विरोध नहीं किया। जब प्रतिवादीगण ने मां की पूरी संपत्ति पर अपना नाम चढवा लिया और वादी को हिस्सा देने से इनकार कर दिया तब वादी को लगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। वादी ने मां के मूल हस्ताक्षरों से प्रतिवादीगण द्वारा बताई गई वसीयत दिनांक 12.10.2012 में बने मां के हस्ताक्षरों का मिलान किया तो स्पष्ट हुआ कि प्रतिवादीगण ने वसीयतनामा की कूटरचना की है और मां के कूटरचित हस्ताक्षर बनाये है।

5. वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र में यह अभिवचन भी किया गया है कि विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2010 पर मां के मूल और उभयपक्षों द्वारा स्वीकृत हस्ताक्षरों से मिलान करने पर यह साबित है कि वसीयतनामा दिनांक 12.10.2012 पर प्रतिवादीगण ने मां जाली हस्ताक्षर बनाये है और उक्त दस्तावेज से प्रकट है कि वह एक तरह का विभाजन पत्र है जिसे पंजीकृत होना अनिवार्य है और वसीयतकर्ता अपने हक से अधिक अंश की वसीयत कर भी नहीं सकता है। इस प्रकार प्रतिवादी क. 2 ने फर्जी वसीयत तैयार कर हीरागंज गर्ग चौराहा स्थित मकान अपने मां के नाम से दर्ज करा लिया और प्रतिवादी क. 1 ने रघुनाथगंज वाला मकान पर अपना नाम दर्ज करा लिया। उक्त नामांतरण से उन्हें कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता हैं। प्रतिवादीगण ने वादी को विश्वास में लेकर वादी की नामांतरण के संबंध में सहमति करा ली थी उससे वादी के अंश पर प्रतिवादी को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। गर्ग चौराहा स्थित मकान मां के नाम पर 18.03.2010 को खरीदा गया है और प्रतिवादी क. 2 ने अंदर ही अंदर तोड लिया है तथा निर्माण आंरभ कर दिया

है।

6. वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र में यह अभिवचन भी किया गया है कि माह नवंबर 2014 में वादी ने प्रतिवादीगण ने मौखिक आग्रह किया कि उसका हिस्सा अलग कर दो। इस पर प्रतिवादीगण हीला हवाली करने लगे तब वादी ने दिनांक 19.01.2015 को प्रतिवादीगण को अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा और प्रतिवादी क्र. 1 ने दिनांक 19.02.2015 को नोटिस का जवाब भेजकर हिस्सा देने से इनकार किया। संपूर्ण विभाजन का वाद कारण मां की मृत्यु के बाद दिनांक 21.12.2012 को उत्पन्न हुआ और फिर दिनांक 25.08.2013 तथा 23.12.2013 को उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादी क्र. 2 ने कूटरचित वसीयत के आधार पर वादी को विश्वास में लेकर अपना नामांतरण कर लिया और दिनांक 19.02.2015 को उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादी क्र. 1 ने वादी को हिस्सा देने से इनकार कर दिया। अतः उक्त समस्त आधारों पर वादी की ओर से इस आशय की घोषणा चाही गई है कि वह गर्ग चौराहा हीरागंज एवं झंडाबाजार रघुनाथगंज कटनी स्थित वादग्रस्त मकान का प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से सहस्वामी है और उक्त भवनों में वादी का 1/3 अंश पर हक हिस्सा है जिसका विभाजन कराकर उसे पृथक कब्जा दिलाया जाये और प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाये कि वह संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित न करे और गर्ग चौराहा स्थित भवन में कोई निर्माण न करें।

7. प्रतिवादीगण की ओर से संयुक्त रूप से मामले में जबावदावा प्रस्तुत करते हुए स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त वादपत्र के शेष अभिवचनों से इंकार किया गया है और यह अभिवचन किया गया है कि वादग्रस्त संपत्ति श्रीमती मोहनी गुप्ता के एकमात्र स्वामित्व की संपत्ति थी और उन्होनें स्वअर्जित आय से क्रय की थी मोहनी गुप्ता आयकर दाता थी और संपत्ति क्रय करने हेतु सक्षम थी। लल्ला भंडार नाम से संचालित व्यवसाय का एकमात्र प्रोपराईटर प्रतिवादी क्र. 1 था और वर्तमान में भी वही व्यवसाय को संचालित करता है। उक्त व्यवसाय पर वादी एवं प्रतिवादी क्र. 2 का कोई स्वत्व एवं अधिकार नहीं है न ही पूर्व में था। वादी की मां के द्वारा स्वयं की आय से वादी को धन देकर वादी के स्वयं के नाम से गर्ग चौराहा स्थित भवन क्रय कर दिया गया था और

मोहनी गुप्ता द्वारा दिये गये पैसे से वादी ने गर्ग चौराहा स्थित मकान क्रय किया था। इसलिए उक्त मकान में वादी एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य है।

8. प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा में यह अभिवचन भी किया गया है कि मोहनी गुप्ता की स्वयं की आय से अर्जित संपत्ति से उन्हें एकमात्र स्वामित्व प्राप्त था और संपत्ति विक्रय दान वसीयत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। झंडा बाजार स्थित कटनी में स्थित भवन पर भी मोहनी गुप्ता का ही स्वामित्व था और उन्हें इच्छा अनुसार उपयोग उपभोग करने का अधिकार था। झंडा बाजार स्थित मकान पर मोहनी गुप्ता को स्वामित्व प्राप्त था और मोहनी गुप्ता की मृत्यु के पश्चात् उनके द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 12.10.2012 के अनुसार प्रतिवादीगण का नाम राजस्व और नगर पालिका अभिलेखों में दर्ज किया गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता अनूप गुप्ता की मृत्यु के बाद पिता के स्वामित्व की संपत्ति पर भी पिता द्वारा की गई पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार मोहनी गुप्ता को ही एकमात्र स्वामित्व प्राप्त था और वैधानिक दस्तावेजों के अनुपालन में समस्त राजस्व अभिलेख और नगर पालिक अभिलेखों में मोहनी गुप्ता को ही स्वामित्व प्राप्त था। इस संबंध में सभी के द्वारा शपथपत्र पर सहमति दी गई थी तभी मोहनी गुप्ता का नामांतरण हुआ था। मोहनी गुप्ता ने दिनांक 12.10.2012 को वसीयतनामा निष्पादित किया था और मोहनी गुप्ता की मृत्यु के बाद वसीयत के अनुपालन में वसीयत की संपत्ति का वितरण किया गया जिसके संबंध में वादी ने शपथ पर सहमति दी थी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान तभी लागू होते है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निर्वसीयती होती है। प्रतिवादी क्र. 2 ने निर्माण हेतु नगर निगम कटनी से स्वीकृति प्राप्त की और निर्माण कार्य प्रांरभ किया था उसने 12 लाख रूपये खर्च कर संपत्ति को बेहतर बनाया है और प्रतिवादी क्र. 2 भवन स्वामी की हैसियत से नामांतरण के पश्चात् से ही कर का भुगतान कर रहा है। वादी द्वारा समस्त विभागों में नामांतरण हेतु अनापत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी क्र. 2 उक्त भवन का स्वामी है और उसे भवन का पूर्ण उपयोग करने का अधिकार है।

9. प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा में यह अभिवचन भी

किया गया है कि वादी ने वसीयतनामा दिनांक 12.10.2012 को विधि संगत मानते हुए चल संपत्ति का मां की इच्छानुसार विभाजन किया है और वसीयत अनुसार जो मकान जिस पक्ष को प्राप्त हुये है उसके पक्ष में शपथपत्र दिया है और नामांतरण में सहमति व्यक्त की है जिसके आधार पर ही प्रतिवादीगण का नामांतरण हुआ है। वादी साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के तहत अब उक्त वसीयतनामा के चुनौती देने से विबंधित है। वादी की मां द्वारा अपने तीनों पुत्रों के साथ न्याय करते हुए मकान दिया है और सोने चांदी दिये है। वादी की मां ने अपने जीवन काल में वादी के नाम से मकान क्रय कर उसकी राशि अदा की है और उसी मकान में वादी निवास कर रहा है। प्रतिवादी क्र. 1 को झंडा बाजार स्थित भवन एवं सावरकर वार्ड स्थित भवन दिया है और प्रतिवादी क्र. 2 को मालवीय वार्ड स्थित भवन दिया है। प्रतिवादीगण ने कोई विश्वासघात नहीं किया है और न ही कोई कूटरचित वसीयतनामा तैयार किया है। मोहनी गुप्ता कई शासकीय अभिलेखों में एवं बैंको के माध्यम से वित्तीय लेनदेन करती थी और नियमित रूप से उनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाते थे वसीयतनामा पर उनके हस्ताक्षर फर्जी नहीं है बल्कि वसीयतनामा उनके द्वारा ही निष्पादित किया गया है। वादी की नियत में बदनियती आ गई है। इसलिए उसने झूठे कथनों का सहायता लेकर यह मामला पेश किया है। मोहनी गुप्ता द्वारा अपनी स्वयं की आय से और अपने स्त्रीधन से समय समय पर संपत्ति क्रय की गई थी और उन्हें वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। वादी ने स्वयं वसीयतनामा को सही मानते हुए उसके आधार पर प्रतिवादीगण के पक्ष में नामांतरण करने की सहमति दी है।

10. प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा में अतिरिक्त कथनों के रूप में यह अभिवचन भी किया गया है कि मोहनी गुप्ता ने स्वयं की आय से वादी के गर्ग चौराहा स्थित मकान क्रय करके दिया है जिस पर वादी काबिज है और अपने अन्य मकान और चल संपत्ति सोना चांदी भी वसीयत के अनुसार दिये है। वादी के द्वारा गर्ग चौराहा स्थित मकान को संपत्ति के विवरण में शामिल नहीं किया गया है जबकि उक्त संपत्ति पर विधि अनुसार मां की मृत्यु के पश्चात् वादी एंव प्रतिवादीगण का संयुक्त स्वामित्व है। चूंकि वादी द्वारा वसीयतनामा को स्वीकार किया गया है इसलिए अब वह उसे नकार नहीं सकता है। उक्त समस्त आधारों पर प्रतिवादीगण की ओर से वादी द्वारा प्रस्तुत

वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

11. उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्नों की विरचना की गई, जिनके निष्कर्ष विवेचना के उपरांत उनके सम्मुख अंकित किये जा रहे हैः—

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादी वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र अ,ब,स,द,च,छ,ज,झ,ट,ठ के 1/3 भाग का उत्तराधिकारी हैं ?	**''वादी रघुनाथगंज वार्ड झंडा बाजार स्थित मकान, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में च, झ, ज, झ, ट, ठ से दर्शित किया गया है, में 1/4 भाग का स्वत्वधारी है''**
02.	क्या मृतक स्व. मोहनीगुप्ता द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 12.10.2012 शून्य व निष्प्रभावी है ?	**''प्रमाणित नहीं''**
03.	क्या प्रतिवादीगण वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य में हस्तक्षेप कर रहे है ?	**''प्रमाणित''**
04.	क्या प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा वादी पर बंधनकारी है ?	**''प्रमाणित''**
05.	क्या सहायता एवं वाद व्यय?	**''निर्णय की कंडिका 86 अनुसार प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार''**

06.	क्या प्रतिवादी क्र. 2 वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शित अ, ब, स, द भवन पर निर्माण कर उसके स्वरूप में स्थाई परिवर्तन कर रहा है ?	**"अ, ब, स, द से दर्शित भवन पर निर्माण करने का प्रतिवादी क्र. 2 को अधिकार है"**
07.	क्या वादग्रस्त संपत्तियों में वादी 1/3–1/3 हिस्से का विभाजन कराकर पृथक कब्जा पाने का अधिकारी है?	**"वादी केवल रघ ुनाथगंज वार्ड झंडा बाजार स्थित मकान, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में च, झ, ज, झ, ट, ठ से दर्शित किया गया है, में अपने 1/4 अंश का विभाजन कराकर पृथक आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है"**

–:: सकारण विवेचना एवं निष्कर्ष ::–
वादप्रश्न क्रमांक 01 लगायत 07

12. वादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में स्वयं वादी चंद्रकांत (वा.सा.1) एवं मदनमोहन कक्कड (वा.सा.2) की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। वही प्रतिवादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में प्रतिवादी पंकज (प्रति.सा.1), राजेश कुमार सोनी (प्रति.सा.2), नीरज तिवारी (प्रति.सा.3) एवं राकेश त्रिवेदी (प्रति.सा. 4) की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है।

13. वादी चंद्रकांत (वा.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कथन किया

है कि वादी और प्रतिवादीगण सगे भाई है वह तथा उनके पिता सभी मिलकर झंडा बाजार कटनी में लल्ला भंडार संस्थान के नाम से मिठाई नमकीन का व्यवसाय करते थे। मोहनी गुप्ता का अन्य कोई व्यवसाय व आय का स्त्रोत नहीं था। होटल व्यवसाय की संयुक्त आय से मोहनी गुप्ता के नाम पर गर्ग चौराहा हीरागंज कटनी में मकान क्रय किया गया और एक मकान सावरकर वार्ड में क्रय किया गया। गर्ग चौराहा स्थित मकान वाद नक्शे में अ, ब, स, द अक्षर से और सावरकर वार्ड स्थित मकान क, ख, ग, घ अक्षर से दर्शित है। इसके अलावा झंडा बाजार कटनी में एक मकान पूर्वजों के नाम से था जो नक्शे में च, छ, ज, झ अक्षर से दर्शित है। पिता की मृत्यु के बाद मकान में मां का और वादी तथा प्रतिवादीगण का 1/4–1/4 हक है। कर चुकता की सुविधा हेतु नगर निगम में सिर्फ मां का नाम सभी की सहमति से चढा था। वादी ने मां के पक्ष में अपने हक का त्याग नहीं किया।

14. वादी चंद्रकात (वा.सा.1) का यह कथन भी है कि दिनांक 21.12.12 को मां की मृत्यु निर्वसीयती हुई है। इस कारण उक्त तीनों भवनों पर वादी एवं प्रतिवादीगण का 1/3–1/3 हक व हिस्सा है। दिनांक 12.10.2012 को मोहनी गुप्ता ने कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया है। मां की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण ने वादी से कहा कि तीनों भाई बराबर बराबर हिस्सा करेंगे और उन्होंने कहा कि 12.10.2012 को एक वसीयत लिखी है। वादी छोटा था इस कारण उसे अपने दोनों बडे भाईयों पर अविश्वास नहीं हुआ और प्रतिवादीगण ने विश्वास दिलाकर मां के नाम स्थित उक्त भवनों में अपना नामांतरण करा लिया। वादी का नामांतरण किसी भवन में नही कराया और न ही उसे कोई हिस्सा दिया तब वादी ने प्रतिवादीगण द्वारा नगर पालिक निगम कटनी में खुद को मां के नाम के वसीयतनामा एवं मां के स्वीकृत मूल हस्ताक्षरों का मिलान किया तो स्पष्ट हुआ कि प्रतिवादीगण ने वादी का हक हड़पने के लिए मां की मृत्यु के बाद उनके जाली हस्ताक्षर बनाकर वसीयतनामा की कूटरचना की है। मां के वास्तविक हस्ताक्षर बैनामा दिनांक 18.03.2010 के दस्तावेज में है।

15. वादी चंद्रकात (वा.सा.1) का यह कथन भी है कि वसीयतनामा दस्तावेज वसीयत न होकर विभाजन पत्र है और मां को संपूर्ण संपत्ति वसीयत

करने का अधिकार भी नहीं था। उनका संपूर्ण संपत्ति में 1/4 अंश था। प्रतिवादी क्र. 2 ने हीरागंज गर्ग चौराहा स्थित मकान पर और प्रतिवादी क्र. 1 ने रघुनाथगंज वाले मकान में वादी को धोखे एवं विश्वास में रखकर जाली वसीयत के आधार पर अपना नाम दर्ज करवा लिया। माह नवंबर 2014 में वादी ने प्रतिवादी से मौखिक आग्रह किया कि मां के निधन हुये काफी समय हो गया है इसलिए मां की संपत्ति से उसका हिस्सा अलग कर दे तब प्रतिवादीगण ने हिला हवाली की तब वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 19.01.2015 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा जिसके उत्तर में प्रतिवादीगण ने वादी को हिस्सा देने से इनकार कर दिया। वादी ने अपने पक्ष समर्थन में प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 78 के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

16. प्रतिवादी पंकज (प्रति.सा.1) का कथन है कि अनूप गुप्ता के 3 पुत्र चंद्रकांत, पंकज एवं रजनीकांत है। मोहनी गुप्ता उसकी मां है जिसकी मृत्यु दिनांक 21.12.2012 को हुई है। उसके परिवार में झंडा बाजार रघुनागगंज वार्ड में एक मकान है जिसमें वह रजनीकांत की ओर से मिठाई की दुकान संचालित करता है। गर्ग चौराहा स्थित दूसरा मकान दिनांक 18.03.2010 को मां ने अपने नाम से क्रय किया था और वर्ष 2009 में गर्ग चौराहा रघुनाथगंज वार्ड स्थित एक अन्य मकान मां ने वादी को खरीदकर दिया था और विक्रय पत्र वादी के नाम से ही निष्पादित कराया है। सावरकर वार्ड कटनी स्थित एक अन्य मकान भी मां ने अपने नाम से क्रय किया था उसकी मां बडी, पापड, अचार इत्यादि के निर्माण का कार्य करती थी और कोचिंग भी करती थी जिससे उसे आय होती थी। उसकी मां के आय का प्रमुख साधन ब्याज की राशि थी मां ने जो संपत्ति क्रय की थी उसकी राशि मां ने ही अदा की थी। वादी को वर्ष 2009 में जो मकान दिलाया था उसकी संपूर्ण राशि मां ने वादी को उसके बैंक खाते में अपने खाते से दी गई थी और डेढ लाख रूपये नगद राशि भी दी थी। उक्त विक्रय पत्र की रजिस्ट्री शुल्क भी मां ने वादी को दी थी।

17. प्रतिवादी पंकज (प्रति.सा.1) का यह कथन भी है कि उसकी मां ने दिनांक 12.10.2012 को अपनी संपत्ति के संबंध में वसीयतनामा निष्पादित किया था और वसीयत के माध्यम से रजनीकांत को झंडा बाजार रंघुनाथगंज कटनी स्थित मकान और सावरकर वार्ड स्थित मकान दिया था और प्रतिवादी

पंकज को गर्ग चौराहा स्थित मकान दिया था और नगद राशि तथा सोने चांदी के जेवरात अपने तीनों पुत्रों अर्थात् वादी और प्रतिवादीगण को दिये थे। मां द्वारा निष्पादित की गई वसीयत प्रदर्श पी 18 है जिसके सभी जगह अ से अ भाग पर मोहनी गुप्ता के हस्ताक्षर है और ब से ब भाग पर मां की फोटो लगी है। वसीयतनामा अधिवक्ता आदर्श मोहन खरे द्वारा लेख किया गया था और अरविंद कुमार गुप्ता तथा नीरज तिवारी के समक्ष वसीयत निष्पादित की गई थी। अरविंद कुमार गुप्ता प्रतिवादी के बडे पिता थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

18. प्रतिवादी पंकज (प्रति.सा.1) का यह कथन भी है कि वसीयत के आधार पर नजूल विभाग में झंडा बाजार स्थित मकान के नामांतरण की कार्यवाही हुई थी जिसमें वादी चंद्रकांत के कथन भी हुये थे और वादी द्वारा अनापत्ति प्रस्तुत की गई थी। गर्ग चौराहा स्थित मकान के संबंध में राजस्व न्यायालय तहसीलदार के यहा एवं नगर निगम में नामांतरण से संबंधित कार्यवाही की गई थी जिसमें भी चंद्रकांत ने अपनी सहमति प्रदान की थी। तहसीलदार के यहां हुये पंचनामें में वादी ने सहमति दी थी और नगर निगम की कार्यवाही में रजनीकांत एवं वादी ने संयुक्त शपथ पत्र पेश किया था। प्रतिवादी की मां आय का रिटर्न दाखिल करती थी और उसका खाता एसबीआई ब्रांच कटनी में था और मां चैक के माध्यम से खाते का संचालन करती थी और चैक में अपने हस्ताक्षर करती थी। गर्ग चौराहा स्थित मकान रामप्रकाश प्यासी को किराये पर देने के संबंध में नगर निगम कटनी में मां ने एक शपथ पत्र दिया था और उस शपथ पत्र में मां की पहचान नीरज तिवारी द्वारा की गई थी। सावरकर वार्ड स्थित मकान के संबंध में विजय पटेल से उत्पन्न विवाद के संबंध में न्यायालय में व्यवहार वाद चला था जिसमें विजय पटेल एवं मोहनी देवी पक्षकार था और उस मामले में जवाबदावा में मां ने हस्ताक्षर किये थे।

19. प्रतिवादी पंकज (प्रति.सा.1) का यह कथन भी है कि झंडा बाजार स्थित मकान में रजनीकांत का कब्जा है और रजनीकांत ने उक्त मकान पंकज को निवास एवं व्यवसाय हेतु दिया है। मां ने जो मकान चंद्रकांत को खरीदकर दिया था उस पर चंद्रकांत का कब्जा है और गर्ग चौराहा स्थित

मकान में प्रतिवादी पंकज का कब्जा है। वादी के लिए खरीदे गये मकान का विक्रय पत्र भी श्री आदर्श मोहन खरे अधिवक्ता द्वारा तैयार किया गया है। वादी और उसकी पत्नी गर्ग चौराहे पर निवास करते है। वर्ष 2023 में वह लोग झंडा बाजार स्थित प्रतिवादी पंकज की दुकान में विवाद करने आये थे जिसकी पंकज ने पुलिस में शिकायत की थी। मां की मृत्यु के 13 दिन बाद तेरहवी के दिन घर के बडे बुजुर्ग बडे पिता अरविंद कुमार गुप्ता और कानपुर निवासी बुआ तथा फूफा और वादी तथा प्रतिवादीगण उनकी पत्नियां, नीरज तिवारी और समाज के सदस्य उपस्थित थे। वहां पर अरविंद गुप्ता ने बताया था मोहनी गुप्ता ने अपने जीवन काल में वसीयत की है और वसीयत सब के सामने दिखाकर फूफाजी से सबके सामने पढवाकर बताया था तब तीनों भाईयों ने वसीयत को स्वीकार किया था। वहां पर वादी को बोला गया कि वादी को मां ने मकान दे दिया है। इसलिए वसीयत के आधार पर सहयोग करके अपने भाईयों का नाम दर्ज करवा लेना। प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में प्रदर्श डी 1 लगायत प्रदर्श डी 39 के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

20. प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी राजेश कुमार सोनी (प्रति.सा.2) का कथन है कि वादी और प्रतिवादीगण के परिवार से उसके पुराने पारिवारिक संबंध है। हरभजनलाल उसके पिता है और प्रवीण कुमार उसके बडे भाई है। हरभजनलाल प्रवीण कुमार सराफ एक फर्म है जो सोने चांदी के क्रय विक्रय का व्यवसाय करती है। साक्षी राजेश उसमें काम करता था उसके पास पंकज उर्फ चंद्रकांत ने आकर कहा था कि मां की वसीयत के आधार पर पैतृक सोने चांदी का विभाजन करना है उसके बाद दिनांक 10.05.2013 को वह तथा उसका भाई प्रवीण उन लोगों के साथ उन लोगों के घर गये थे। उसने घर पहुंचकर सोने चांदी की तौलकर तीन हिस्सो में विभाजित किया था उस समय वहां पर वादी और प्रतिवादीगण की पत्नियां भी मौजूद थी। तौल और विभाजन से संबधित लेख साक्षी ने अपनी हस्तलिपि में लिखा था जो प्रदर्श डी 29 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तीनों लोगों को बराबर बराबर हिस्सा मिला था जिससे तीनों लोग संतुष्ट थे। प्रदर्श डी 29 में यह लेख किया है कि किसको क्या हिस्सा मिला था।

21. उभयपक्षों की ओर से किये गये तर्कों के आलोक में वर्तमान

मामले में उपलब्ध साक्ष्य पर विचार किया गया।

22. वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र में यह अभिवचन किया गया है कि गर्ग चौराहा, हीरागंज, मालवीयगंज वार्ड कटनी स्थित भवन, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में अ, ब, स, द से वर्णित किया गया है, संयुक्त परिवार की आय से वादी एवं प्रतिवादीगण की मां मोहनी गुप्ता के नाम से क्रय किया गया था और झंडा बाजार रघ ुनाथगंज बाजार कटनी स्थित भवन, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में च, छ, ज, झ, ट, ठ से दर्शित किया गया है, पैतृक भवन है जो पिता के नाम पर था और पिता की मृत्यु के बाद कर अदायगी के लिए वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति से मां मोहनी गुप्ता के नाम नगर पालिक निगम कटनी में दर्ज किया गया था। उक्त दोनों भवनों में वादी एवं प्रतिवादीगण का समान हक व हिस्सा 1/3—1/3 है। वहीं प्रतिवादीगण का यह पक्ष रहा है कि मोहनी गुप्ता के नाम की संपत्तियां मोहनी गुप्ता ने अपनी स्वअर्जित आय से क्रय की थी और संपत्ति की एकमात्र स्वत्व व आधिपत्यधारी थी और उन्होनें दिनांक 12.10.2012 को विवादित संपत्तियों के संबंध में वसीयत निष्पादित की थी और वसीयत के आधार पर प्रतिवादीगण का नाम संपत्ति पर दर्ज हुआ है जिसमें वादी की भी सहमति रही है। विवादित संपत्तियों में वादी का कोई हक व अधिकार नहीं है।

23. प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई है और उनके पिता अनूप कुमार गुप्ता थे तथा मां मोहनी गुप्ता थी। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अनूप कुमार गुप्ता एवं मोहनी गुप्ता की मृत्यु हो चुकी है।

24. प्रतिवादीगण की ओर से यह तर्क किया गया है कि वादी को अपना मामला स्वयं प्रमाणित करना है और वह प्रतिवादीगण के किसी कमी का सहारा नहीं ले सकता है। इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से **न्यायदृष्टांत एस.मादासामी थेवर विरूद्ध ए.एम. अर्जुनाराजा ए. आई.आर 2000 मद्रास 465, रामदास विरूद्ध सलीम अहमद तथा अन्य**

<u>1999(1) विधि भासवर 89</u> प्रस्तुत किये हैं।

25. उभयपक्षों कीओर से किये गये तर्कों के आलोक में और न्यायदृष्टातों के आलोक में वर्तमान मामले में उपलब्ध साक्ष्य पर विचार किया गया।

26. वादी चन्द्रकांत (वा.सा.1) का मुख्यपरीक्षण में यह कथन रहा है कि वादी प्रतिवादीगण और उसके पिता सभी लोग मिलकर झंडा बाजार कटनी में लल्ला भंडार के नाम से मिठाई और नमकीन का व्यवसाय करते थे मोहनी गुप्ता के पास आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं था। होटल व्यवसाय की संयुक्त आय से मोहनी गुप्ता के नाम पर गर्ग चौराहा हीरागंज कटनी में मकान कय किया गया था जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में अ, ब, स, द से दर्शित किया गया है। वादी की ओर से उक्त संबंध में प्रदर्श पी 14 का विकय पत्र प्रस्तुत किया गया है।

27. प्रदर्श पी 14 के विकय पत्र के अवलोकन से दर्शित है कि मोहनी गुप्ता द्वारा विकेतागण जुगेशचंद, श्रीमती मंजूला एवं राजकुमार पाठक से दिनांक 18.03.2010 को 1500 वर्गफीट क्षेत्रफल पर स्थित भवन क. 124 कय किया गया है। प्रदर्श पी 14 के विकय पत्र के निष्पादन को प्रतिवादीगण की ओर से विवादित नहीं किया गया है तब उक्त विकय पत्र के आधार पर प्रथमतः यह तथ्य साबित होता है कि मोहनी गुप्ता ने दिनांक 18.03.2010 को उक्त भवन कय किया था।

28. वादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में प्रदर्श पी 24 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से दर्शित है कि मोहनी गुप्ता द्वारा नगर पालिक निगम मुडवारा में उक्त विकय पत्र दिनांक 18.03.2010 के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है और प्रदर्श पी 23 के अवलोकन से दर्शित है कि विकय्र पत्र दिनांक 18.03.2010 के आधार पर मोहनी गुप्ता का नामांतरण स्वीकृत किया गया है अर्थात् मकान कय करने के बाद नगर पालिक निगम

कटनी के अभिलेखों में मोहनी गुप्ता का नाम उक्त गर्ग चौराहा स्थित भवन पर दर्ज किया गया है।

29. वादी चंद्रकांत के अनुसार उक्त भवन संयुक्त परिवार की आय से मां मोहनी गुप्ता के नाम पर क्रय किया गया था। वादी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 12 में यह स्वीकार किया गया है कि गर्ग चौराहा स्थित भवन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर मां मोहनी गुप्ता के नाम से क्रय किया गया था और यह भी स्वीकार किया गया है कि उक्त मकान पिता अनूप गुप्ता की मृत्यु के पश्चात् क्रय किया गया था। कंडिका 9 में वादी ने यह भी बताया है कि वर्ष 2004 में पिता की मृत्यु हो गई थी।

30. वादी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 27 में यह स्वीकार किया है कि मालवीयगंज वार्ड गर्ग चौराहा स्थित मकान मां ने खरीदा था यद्य पि साक्षी आगे यह कथन करता है कि मकान मां के नाम से खरीदा गया था लेकिन विक्रय पत्र प्रदर्श पी 14 में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि उक्त क्रय की गई संपत्ति का प्रतिफल संयुक्त परिवार की आय से अदा किया गया था बल्कि स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित किया गया है कि संपूर्ण प्रतिफल मोहनी गुप्ता के द्वारा अदा किया गया है। वादी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 16 में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 29.05. 2009 को मां मोहनी गुप्ता ने एक चैक 5 लाख रूपये का और दूसरा चैक 3,50,000 रूपये का वादी को दिया था। प्रदर्श पी 14 का विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2010 को निष्पादित किया गया था और उसके ठीक पूर्ववर्ती वर्ष मे स्वंयं वादी अपनी मां द्वारा उसे धनराशि दिये जाने का कथन करता है। कंडिका 14 में भी यह स्वीकार करता है कि मां मोहनी गुप्ता की मृत्यु दिनांक तक मां मोहनी गुप्ता के पास सोना चांदी और नगद राशि थी। मामले में वादी की ओर से ऐसी कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि वास्तव में प्रतिफल संयुक्त परिवार की आय से अदा किया गया था और मकान मां के नाम से क्रय किया गया था।

31. स्वयं वादी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में की गई उक्त स्वीकारोक्तियों से दर्शित है कि वादी के पिता की मृत्यु वर्ष 2004 में ही हो चुकी थी और मां के पास सोना चांदी तथा नगद धन राशि थी। वर्ष 2009 में वादी की मां मोहनी ने वादी को भी 8,50,000 रूपये चैक के माध्यम से दिये थे। ऐसी स्थिति में यही दर्शित होता है कि वास्तव में मां मोहनी गुप्ता द्वारा स्वयं की आय से ही गर्ग चौराहा मालवीय गंज वार्ड स्थित विवादित मकान क्रय किया गया था, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में अ, ब, स, द से दर्शित किया गया है और मोहनी गुप्ता ही उक्त वादग्रस्त मकान की एकमात्र स्वामी थी।

32. अब यदि वादपत्र में विवादित बताये गये झंडा बाजार रघ ुनाथगंज वार्ड स्थित भवन पर विचार किया जाये तब उक्त संबंध में वादी की ओर से वादपत्र में यह अभिवचन किया गया है कि उक्त मकान पैतृक था जो पिता के नाम पर था और पिता के निधन के पश्चात् मात्र कर अदायगी के उद्देश्य से वादी और प्रतिवादी के सहमति से मां मोहनी गुप्ता के नाम दर्ज कराया गया था। ऐसे ही कथन वादी की ओर से अपने मुख्यपरीक्षण संबंधी शपथपत्र की कंडिका 2 में किये गये है।

33. इस मामले में उभयपक्षों की ओर सेउक्त झंडा बाजार स्थित मकान के क्रय किये जाने के संबंध में कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त संबंध में प्रतिवादी क्र.1 पंकज (प्रति.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 21 में यह स्वीकार किया है कि झंडा बाजार स्थित भवन उसके पिता कि नाम जरूर था और यह भी स्वीकार किया है कि पिता की मृत्यु होने के बाद सिर्फ मां का नाम नगर निगम के रिकार्ड में दर्ज हुआ था और उक्त भवन का मां तथा तीनों भाईयों के बीच कभी कोई विभाजन नहीं हुआ।

34. वादी चंद्रकांत (वा.सा.1) ने प्रतिरीक्षण की कंडिका 21 में बताया है कि झंडा चौक वाला मकान उसके दादा नारायणदास ने क्रय किया था। स्वयं प्रतिवादीगण की ओर से वादी को प्रतिपरीक्षण की

कंडिका 31 में यह सुझाव दिया गया है कि दादा की मृत्यु के बाद उक्त संपत्ति पिता को प्राप्त हुई थी और यह भी सुझाव दिया गया है कि पिता उस संपत्ति के एकमात्र स्वामित्वधारी हो गये थे। उक्त सुझावों को वादी चंद्रकांत (वा.सा.1) ने स्वीकार किया है। तब यह स्पष्ट है कि झंडा बाजार स्थित विवादित भवन वास्तव में वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक संपत्ति थी और जो उनके दादा की मृत्यु के पश्चात् उनके पिता को प्राप्त हुई थी और पिता की मृत्यु के पश्चात् उक्त संपत्ति पर सिर्फ मोहनी गुप्ता का नाम दर्ज हुआ था।

35. यद्यपि उक्त संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से वादी को यह सुझाव दिया गया है कि पिता ने मृत्यु के पूर्व वसीयत द्वारा झंडा बाजार वाला मकान मां को दे दिया था जिसे वादी ने गलत होना बताया है। प्रतिवादी क्र. 1 पंकज ने अपने मुख्यपरीक्षण में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि झंडा बाजार स्थित मकान मां की स्व अर्जित संपत्ति थी और न ही ऐसा कोई कथन किया गया है कि उक्त मकान मां को किस आधार पर प्राप्त हुआ था। प्रतिवादी क्र. 1 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 21 में यह अवश्य बताया है कि पिता ने झंडा बाजार के भवन के लिए मां मोहनी गुप्ता के नाम पर एक विल लिखी थी लेकिन ऐसी कोई विल प्रतिवादी के द्वारा अपनी साक्ष्य में प्रस्तुत कर प्रमाणित नहीं कराई गई है तब यह नहीं माना जा सकता कि पिता द्वारा उक्त मकान वसीयत के माध्यम से मोहनी गुप्ता को दिया गया था और मोहनी गुप्ता उक्त संपत्ति की एकमात्र स्वामी थी बल्कि साक्ष्य के आधार पर यह साबित है कि उक्त मकान वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सपंत्ति थी जो पूर्व में पिता के नाम पर दर्ज थी और पश्चात् में पिता की मृत्यु के बाद उस पर सिर्फ मोहनी गुप्ता का नाम दर्ज हुआ था।

36. चूंकि झंडा बाजार स्थित विवादित मकान पूर्व में पिता के नाम दर्ज होना और पिता की संपत्ति होना साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट है और कोई वसीयत आदि साबित न किये जाने के कारण यह भी स्पष्ट है कि पिता की मृत्यु निर्वसीयती हुई थी। उपरोक्त परिस्थितियों में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार पिता की मृत्यु

निर्वसीयती होने के उपरांत उसकी संपत्ति उसकी पत्नी मोहनी गुप्ता और उसकी तीनों संतानों अर्थात् वादी और प्रतिवादीगण को उत्तराधिकार के आधार पर प्राप्त होगी और जिसमें सभी को 1/4–1/4 हिस्सा प्राप्त होगा अर्थात् उक्त विवादित भवन में मोहनी गुप्ता को 1/4 अंश और वादी को 1/4 अंश तथा प्रतिवादी क्र. 1 को 1/4 अंश और प्रतिवादी क्र. 2 को 1/4 अंश प्राप्त होगा।

37. वादी का आगे मामला यह रहा है कि मोहनी गुप्ता द्वारा कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया गया है और फर्जी तथा कूटरचित वसीयतनामा के आधार पर प्रतिवादीगण ने विवादित भवनों पर अपना नाम दर्ज करा लिया। वहीं प्रतिवादीगण का यह पक्ष रहा है कि मां ने अपने जीवन काल में दिनांक 12.10.2012 वसीयतनामा निष्पादित किया था।

38. दिनांक 12.10.2012 को मोहनी गुप्ता द्वारा वसीयत निष्पादित की गई, यह तथ्य साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। उक्त संबंध में वादी की ओर से यह तर्क किया गया है कि वसीयत का निष्पादन प्रमाणित नहीं है और वसीयत में अनेक संदिग्धताये मौजूद है। वहीं प्रतिवादीगण की ओर से यह तर्क किया गया है कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य के आधार पर वसीयत का निष्पादन प्रमाणित है। अपने तर्कों के समर्थन में प्रतिवादीगण की ओर से न्यायदृष्टांत **विद्यावंती एवं अन्य विरूद्ध दुर्गाप्रसाद 2008 (III) एम.पी. डब्ल्यू.एन. 57, एवं न्यायदृष्टांत जमुनाबाई एवं अन्य विरूद्ध सुरेन्द्र प्रसाद एवं अन्य एआईआर 1995 म.प्र. 274** प्रस्तुत किये गये हैं।

39. उभयपक्षों की ओर से किये गये तर्कों के आलोक में और प्रस्तुत न्यायदृष्टांतों के आलोक में वर्तमान मामले में वसीयतनामा के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य पर विचार किया गया।

40. उक्त संबधं में प्रतिवादी क्र. 1 रजनीकांत (प्रति.सा.1) ने मुख्यपरीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 12.10.2012 को मां ने

अपनी संपत्ति के संबंध में प्रदर्श पी 18 का वसीयतनामा निष्पादित किया था जिसके अ से अ भागों पर मोहनी गुप्ता के हस्ताक्षर है और ब से ब भाग पर मोहनी गुप्ता की फोटो लगी हुई है। वसीयतनामा आदर्श मोहन खरे अधिवक्ता द्वारा लेख किया गया था और मां द्वारा अरविंद गुप्ता तथा नीरज तिवारी के समक्ष वसीयत निष्पादित की गई थी अरविंद गुप्ता की वर्ष 2022—23 में मृत्यु हो चुकी है।

41. उक्त वसीयतनामा के अनुप्रमाणक साक्षी नीरज तिवारी (प्रति.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि वह वादी और प्रतिवादीगण को जानता है उसने और रजनीकांत ने एक साथ पढाई की है। वर्ष 2012 की बात है जिस दिन वसीयत की गई थी उसके 3—4 दिन पहले मोहनी गुप्ता ने उसे बुलवाया था और वसीयत लेख करने की इच्छा जाहिर की थी और उसी समय दस्तावेज लेखक आदर्श मोहन खरे से वसीयत लेख करने के बारे में बातचीत की थी तो उन्होनें कहा था कि 3—4 दिन बाद आ जाना। उसके 3—4 दिन बाद दिनांक 12.10.2012 को साक्षी नीरज मोहनी गुप्ता के साथ श्री आदर्श मोहन खरे अधिवक्ता के घर गये थे उनके घर के पीछे अरविंद गुप्ता का निवास है मोहनी गुप्ता ने खरे साहब के घर पर अरविंद गुप्ता को बुलवाया था और श्री आदर्श मोहन खरे को बोल बोल कर वसीयत लेख करवाई थी जो पहले कच्चे तौर पर लेख की गई थी उसके बाद वसीयत को टाईप कराया गया था वसीयत टाईप होने के बाद मोहनी गुप्ता ने पूरी वसीयत पढी थी।

42. नीरज तिवारी (प्रति.सा.3) का यह कथन भी है कि टाईपशुदा वसीयतनामा पर मोहनी की फोटो लगाई गई थी और दोनों गवाह अरविंद गुप्ता और साक्षी नीरज की फोटो लगाई गई थी। साक्षी नीरज के समक्ष मोहनी गुप्ता ने वसीयतनामा पर चस्पा फोटो के नीचे व वसीयतनामा के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर किये थे। वसीयतनामा प्रदर्श पी 18 के अ से अ भागों पर मोहनी गुप्ता के हस्ताक्षर है। मोहनी गुप्ता के हस्ताक्षर करने के बाद गवाह के रूप में पहले अरविंद गुप्ता ने हस्ताक्षर किये थे और उसके बाद नीरज ने अपने हस्ताक्षर किये थे, वसीयतनामा के स से स भाग पर अरविंद गुप्ता के और द से द भाग पर साक्षी नीरज की फोटो लगी है और साक्षी की फोटो के

नीचे ई से ई भाग पर साक्षी नीरज के हस्ताक्षर है। मोहनी गुप्ता ने साक्षी के समक्ष हस्ताक्षर किये थे और उसने उन्हें हस्ताक्षर करते देखा था।

43. नीरज तिवारी (प्रति.सा.3) का यह कथन भी है कि वर्ष 2009 में मोहनी गुप्ता चंद्रकांत को मकान दिलवा चुकी थी। वसीयतनामा में झंडा बाजार स्थित और सावरकर वार्ड स्थित मकान रजीनकांत को दिये गये थे और गर्ग चौराहा स्थित मकान पंकज गुप्ता को दिया गया था। वसीयतनामा में मोहनी गुप्ता के जेवरात सभी बहनों को बराबर–बराबर दिये जाने का उल्लेख भी कराया गया था और वसीयतनामा में नगद पैसे में से 24,000 रूपये रजनीकांत को 2,00,000 रूपये पंकज को और 3,50,000 रूपयें चंद्रकांत को दिये जाने का उल्लेख किया गया था। वसीयतनामा लिखे जाने समय मोहनी गुप्ता स्वस्थ थी। वर्ष 2009 में मोहनी गुप्ता द्वारा वादी चंद्रकांत के नाम जो रजिस्ट्री कराई गई थी उस दस्तावेज में भी साक्षी के रूप में साक्षी नीरज के हस्ताक्षर है, रजिस्ट्री 2 भागों में हुई थी जिसके एक भाग की रजिस्ट्री पर गवाह के रूप में साक्षी के हस्ताक्षर है।

44. साक्षी नीरज तिवारी (प्रति.सा.3) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 17 में वादी की ओर से दिये गये इस सुझाव को गलत होना बताया है कि प्रदर्श पी 18 का वसीयतनामा मोहनी गुप्ता ने लेख नहीं कराया था और वसीयतनामा फर्जी है और उस पर साक्षी नीरज तिवारी और रजनीकांत ने मोहनी गुप्ता के फर्जी हस्ताक्षर कराये थे। वसीयत निष्पादन के संबंध में नीरज तिवारी (प्रति.सा.3) के कथन प्रतिपरीक्षण में अखडित रहे हैं और उसके कथनों में ऐसी कोई भी परिस्थितियां परिलक्षित नहीं हुई है जिनके आधार पर वसीयतनामा के निष्पादन को संदेहास्पद माना जा सके।

45. वसीयत के निष्पादन के संबंध में वादी अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया है कि वसीयत प्रदर्श पी 18 में ऐसा उल्लेख नहीं है कि विल उसके निष्पादक के समक्ष पड़ी गई थी और निष्पादक ने उस पर अपने हस्ताक्षर किये थे तब साक्षियों ने भी अपने हस्ताक्षर

किये थे। उपरोक्त परिस्थितियों में विल साबित नहीं मानी जा सकती। इस संबंध में वादी की ओर से **न्यायदृष्टांत मुन्नालाल विरूद्ध श्रीमती कोमल तथा अन्य 2013 रा.नि. 336** प्रस्तुत किया गया है। विल के संदेहास्पद होने के संबधं में माननीय **उच्च न्यायालय आंध्रपेदश द्वारा अपील नं. 799/2008 में पारित निर्णय दिनांक 09.08.2024** की प्रति भी प्रस्तुत की है।

46. उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में वर्तमान मामले में उपलब्ध साक्ष्य पर विचार किया गया। वर्तमान में प्रदर्श पी 18 के अनुप्रमाणक साक्षी नीरज तिवारी (प्रति.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि पहले वसीयत कच्चे तौर पर लेख की गई थी उसके बाद वसीयत को टाइप कराया गया था और वसीयतकर्ता मोहनी गुप्ता ने वसीयत पूरी पढी थी और इसके बाद अपने हस्ताक्षर किये थे और मोहनी गुप्ता द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अरंविंद गुप्ता और उसके बाद नीरज तिवारी ने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी नीरज तिवारी के उक्त कथन प्रतिपरीक्षण में अखंडित रहे हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रदर्श पी 18 पर ऐसा लेख नहीं होने मात्र के आधार पर वसीयतनामा को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता कि वसीयत निष्पादनकर्ता को पढकर सुनाई व समझाई गई थी।

47. वर्तमान मामले में साक्ष्य के आधार पर ऐसी भी कोई परिस्थिति दर्शित नहीं हुई है कि वसीयत की निष्पादनकर्ता मोहनी गुप्ता अशिक्षित थी। वादी के द्वारा जो न्यायदृष्टांत पेश किया गया है उसमें वसीयतनामा के साक्षीगण की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं था कि वसीयतकर्ता को वसीयत पढकर सुनाई गई थी अथवा वसीयतकर्ता ने उनके सामने वसीयत पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षीगण ने यह भी स्पष्ट नहीं किया था कि वसीयतकर्ता ने उनके समक्ष वसीयत पर हस्ताक्षर किये थे और वसीयत के निष्पादन के संबंध में अन्य संदेहास्पद परिस्थितियां भी प्रकट हुई थी। वर्तमान मामले में वसीयत के निष्पादन के संबंध में कोई भी संदेहास्पद परिस्थति प्रकट नहीं हुई है और साक्षी नीरज तिवारी (प्रति.सा.3) ने वसीयत का अनुप्रमाणन साबित किया है।

इसलिए वादी की ओर से किया जा रहा तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है और उसे प्रस्तुत न्यायदृष्टांतों से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

48. वादी की ओर से यह तर्क भी किया गया है कि वसीयतनामा प्रदर्श पी 18 पर अनुप्रमाणक साक्षी नीरज (प्रति.सा.3) के जो हस्ताक्षर फोटो के नीचे बताये गये है वह अनुप्रमाणक साक्षी के तौर पर नहीं है बल्कि वह केवल स्वयं की फोटो को प्रमाणित करते है। उक्त तर्क पर भी विचार किया गया। यह सही है कि प्रदर्श पी 18 की वसीयत में नीरज तिवारी (प्रति.सा.3) के इ से इ भाग पर जो हस्ताक्षर मौजूद है, वह उसकी फोटो के ठीक नीचे मौजूद है लेकिन यहां पर यह उल्लेखनीय है कि उक्त फोटों के ठीक सामने उसका नाम पता लेख किया गया है और उसकी फोटो चस्पा है। साक्षी नीरज (प्रति.सा.3) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 18 में वादी की ओर से दिये गये सुझाव को गलत होना बताया है कि वसीयतनामा के इ से इ भाग पर जो उसके हस्ताक्षर है वह सिर्फ फोटो की पहचान के लिए है। जहां पर साक्षी नीरज तिवारी का नाम पता लेख है उसके उपर हस्ताक्षर न होने और हस्ताक्षर फोटो के नीचे होने मात्र के आधार पर ऐसा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि हस्ताक्षर अनुप्रमाणन के संबंध में नहीं है बल्कि सिर्फ फोटो की पहचान के संबंध में है।

49. वादी की ओर से यह तर्क भी किया गया है कि वादी की मां द्वारा निष्पादित वसीयत में अपने दोनों पुत्रों प्रतिवादीगण को संपत्ति दी गई है और अपने तीसरे पुत्र वादी को कोई भी संपत्ति नहीं दी गई है यह तथ्य भी वसीयतनामा को संदेहास्पद बनाता है। इस संबंध में वादी की ओर से **न्यायदृष्टांत रामप्यारी विरूद्ध भगवंत एवं अन्य ए.आई. आर 1990 सुप्रीम केट 1742** प्रस्तुत किया है।

50. वादी की ओर से किये जा रहे उक्त तर्क पर भी विचार किया गया। वर्तमान मामले में ऐसी स्थिति नहीं है कि वसीयतकर्ता द्वारा अपने पुत्र वादी को संपत्ति से पूरी तरह से वंचित किया गया हो अथवा उसे कोई भी संपत्ति प्रदान न की गई हो। वसीयतनामा प्रदर्श पी 18 में

विवादित मकानों के अलावा मोहनी गुप्ता के पास मौजूद रहे सोना चांदी में से 25 तोला सोना और 3 किलो चांदी सबसे छोटी बहू रोशनी गुप्ता को दिये जाने का उल्लेख किया गया है और यह भी उल्लेख किया गया है कि वसीयतकर्ता के पास नगदी के रूप में जो राशि थी उसमें से 50,000 रूपये की राशि पूर्व में ही वह चंद्रकांत को दे चुकी है। इसके अलावा उसके पास मरते समय तक जो कुछ भी नगद राशि हो वह सब चंद्रकांत ही प्राप्त करेगा।

51. उक्त संबंध में प्रतिवादीगण का यह पक्ष रहा है कि वास्तव में मां मोहनी गुप्ता द्वारा पूर्व में ही वादी को गर्ग चौराहा में भवन क्रय कर दिया था इसलिए वसीयत में उसे कोई भवन नहीं दिया गया है यद्य पि वसीयतनामा प्रदर्श पी 18 मे इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि वादी को कोई भवन क्यों नहीं दिया जा रहा है लेकिन वादी चंद्रकातं (वा.सा. 1) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 16 में यह स्वीकार किया है कि जो मकान वह स्वयं के द्वारा खरीदना बता रहा है उसका विक्रय पत्र दिनांक 29.05.2009 को निष्पादित हुआहै और उसने यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 29.5.2009 को मोहनी गुप्ता ने 5,00,000/–रूपये एवं 3,50,000/–रूपये चैक के माध्यम से दिये थे। वादी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 27 में भी इस आशय की स्वीकारोक्ति की है कि उसने अपनी मां से 8,50,000/–रूपये लिये थे अर्थात् वादी के नाम पर जो भवन क्रय किया गया है उसके लिए राशि वादी की मां द्वारा दिया जाना स्वयं वादी चंद्रकांत (वा.सा.1) के द्वारा प्रतिपरीक्षण में की गई स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है।

52. उक्त वसीयतनामा में लेख सोना चांदी के संबंध में प्रतिवादी साक्षी राजेश कुमार (प्रति.सा.2) की साक्ष्य महत्वपूर्ण है। जिसने अपने कथनों में बताया है कि दिनांक 10.05.2013 को वादी एवं प्रतिवादी के घर पहुंचकर सोने चांदी की तौल की थी उस समय तीनों की पत्नियां भी वहीं पर मौजूद थी जिसके संबधं में प्रदर्श डी 29 का दस्तावेज लेख किया गया था और उस दस्तावेज से सभी संतुष्ट थे। प्रतिवादी साक्षी राजेश कुमार के कथन प्रतिपरीक्षण में अखंडित रहे हैं।

वादी चंद्रकांत (वा.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 15 में बताया है कि उसे दिनांक 10.05.2013 के दस्तावेज के आधार पर कोई सोना चांदी प्राप्त नहीं हुआ और साक्षी यह कथन भी करता है कि उसने सोना चांदी प्राप्त करने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है। यदि वास्तव में वादी को वसीयत अनुसार सोना चांदी प्राप्त नहीं हुआ था तब निश्चित रूप से और स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा उक्त सोना चांदी के बंटवारा किये जाने का अनुतोष भी इस मामले में चाहा जाता लेकिन ऐसे किसी अनुतोष की मांग वादी ने नहीं की है। उपरोक्त परिस्थिति में वादी चंद्रकांत (वा.सा.1) का यह कथन भरोसेमंद नहीं माना जा सकता कि उसे वसीयतनामा के अनुसार सोना चांदी प्राप्त नहीं हुआ था।

53. इस प्रकार वर्तमान मामले में ऐसी भी कोई परिस्थिति मौजूद नहीं है कि वसीयतकर्ता ने अपनी संपूर्ण संपत्ति से अपने पुत्र वादी रजनीकांत को वंचित किया हो, इसलिए वादी की ओर से किया जा रहा उक्त तर्क भी मान्य किये जाने योग्य नहीं है और उसकी ओर से प्रस्तुत उक्त रामप्यारी वाले मामले की परिस्थितियां वर्तमान मामले से भिन्न होने के कारण उसे उक्त न्यायदृष्टांत से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

54. वादीगण की ओर से वसीयतनामा पर मौजूद मोहनी गुप्ता के हस्ताक्षर फर्जी होने के संबंध में उक्त वसीयतनामा पर मौजूद हस्ताक्षर और प्रदर्श पी 14 के स्वीकृत दस्तावेज विक्रय पत्र पर मौजूद हस्ताक्षर के सबंध में हस्तलिपि विशेषज्ञ मदनमोहन कक्कड (वा.सा.2) से जांच कराई गई है और साक्षी के तौर पर इस मामले में प्रस्तुत भी किया गया है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण की ओर से भी प्रश्नगत वसीयत और स्वीकृत विक्रय पत्र पर मौजूद मोहनी गुप्ता के हस्ताक्षरों की जांच हस्तलिपि विशेषज्ञ से कराई गई है और प्रतिवादीगण की ओर से विशेषज्ञ साक्षी राकेश त्रिवेदी (प्रति.सा.4) की साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई है।

55. मदनमोहन कक्कड (वा.सा.2) का कथन है कि वह वर्ष 1970 से

हस्तलिपि अंगुल चिन्ह विशेषज्ञ का कार्य कर रहा है। उसने स्कूल ऑफ डाकूमेंट इनवेस्टीगेशन के प्रधान विशेषज्ञ श्री सी.आर.हारलेस से इस विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की है। उसने इस मामले में प्राईवेट रिफरेंस के तहत वसीयतनामा की फोटोकापी पर बने विवादित हस्ताक्षर तथा बैनामा पर बने मोहनी देवी के हस्ताक्षर की फोटो लेकर राय दी है उसने दिनांक 22.04.2022 को न्यायालय के आदेशानुसार वसीयतनामा दिनांक 12.10.2012 पर बने मोहनी गुप्ता के विवादित हस्ताक्षर की फोटो ली और उसके साथ पंजीकृत बैनामा दिनांक 18.03.2010 प्रदर्श पी 14 पर बने मूल हस्ताक्षरों की अदालत में आकर डिजिटल कैमरे से फोटो ली और उसकी एक सी.डी. तैयार की जो प्रदर्श पी 29 है।

56. मदन मोहन कक्कड (वा.सा.2) का यह कथन भी है कि प्रदर्श पी 29 की मदद से उसने फोटो इनलार्जमेंट तैयार किये जो प्रदर्श पी 30 लगायत 43 है। विवादित हस्ताक्षरों के फोटो को उसने डी 1 लगायत डी 5 से चिन्हित किया और मान्य हस्ताक्षरों को ए1 लगायत ए9 से चिन्हित किया। डी 1 लगायत डी 5 के फोटो वसीयतनामा प्रदर्श पी 18 के हस्ताक्षरों का फोटो और ए 1 लगायत 9 प्रदर्श पी 14 पर बने हस्ताक्षरों के फोटो है उसने इनकी जांच व तुलना वैज्ञानिक ढंग से की है। वैज्ञानिक परीक्षण के उपरांत उसने पाया कि विवादित हस्ताक्षर डी 1 लगायत डी 5 उस लेखक ने नहीं लिखे है जिसने मान्य हस्ताक्षर ए1 लगाएत ए 9 लिखे है। उसके द्वारा तैयार रिपोर्ट दिनांक 15.06.22 प्रदर्श पी 44 है। उसने फोटो लेने की प्रक्रिया के संबंध में धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया है जो प्रदर्श पी 43 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

57. प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत हस्तलिपि विशेषज्ञ साक्षी राकेश त्रिवेदी (प्रति.सा.4) का कथन है कि वह हस्तलेख एवं अंगुल चिन्ह विशेषज्ञ का कार्य वर्ष 1986 से स्वतंत्र रूप से कर रहा है। उसने इसका विशेष प्रशिक्षण श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी एक्सपर्ट इलाहाबाद से किया था। उसने प्रदेश के विभिन्न जनपदीय न्यायालय, बैंक, सरकारी तथा अर्धसरकारी, पुलिस विभाग तथा माननीय न्यायालय इलाहाबाद सहित अनगिनत केसों में अपनी राय लेख तथा अंगुष्ठ चिन्ह के बाबत दिए है।

58. विशेषज्ञ साक्षी राकेश त्रिवेदी (प्रति.सा.4) का कथन है कि उसने दिनांक 14.05.2026 को न्यायालय कक्ष में उभयपक्ष के अधिवक्ता के समक्ष वसीयतनामा दिनांक 12.10.2012 में बने हुये मोहनी गुप्ता के विवादित हस्ताक्षर का फोटोग्रॉफ लिया था और इनके परीक्षण के लिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 18.03.2010 में बने हुये मोहनी गुप्ता के हस्ताक्षर का फोटोग्रॉफ भी लिया था। उसने फोटोग्रॉफ मोबाईल कैमरे से लिये थे। उसने फोटोग्रॉफ लेने के बाद उन्हे सी.डी. के माध्यम से विस्तारित किया था और विस्तारित फोटोग्रॉफ तैयार किये थे।

59. विशेषज्ञ साक्षी राकेश त्रिवेदी (प्रति.सा.4) का कथन है कि उसने ग्राफोस्कोपी की विधि द्वारा विवादित हस्ताक्षर और स्वीकृत हस्ताक्षरों के संबंध में परीक्षण किया था तदोपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि वसीयतनामा दिनांक 12.10.2012 में बने हुये मोहनी गुप्ता के विवादित हस्ताक्षर उसी व्यक्ति द्वारा बनाये गये है जिसमें की पंजीकृत विक्रेता दिनांक 18.03.2010 में मोहनी गुप्ता के रूप में हस्ताक्षर बनाये है। साक्षी ने उक्त निष्कर्ष के कारणों का विस्तारित उल्लेख अपनी टाईपशुदा परीक्षण रिपोर्ट में किया है। उसके द्वारा लिये गये विवादित हस्ताक्षरों को डी 01 से डी 05 तक मार्क किया है और विक्रयपत्र पर मौजूद स्वीकृत हस्ताक्षरों को एस 01 से एस 09 तक मार्क किया है। उसने अपनी रिपोर्ट के साथ सी.डी. में विवादित और स्वीकृत हस्ताक्षरों के फोटो पेश किये है और उनके विस्तारित फोटोग्रॉफ भी रिपोर्ट के साथ संलग्न कर पेश किये है। उसने मोबाईल से फोटोग्रॉफ सी.डी. में ट्रांसफर करने व उसके विस्तारित फोटोग्रॉफ तैयार करने के संबंध में धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाणपत्र भी दिया है।

60. विशेषज्ञ साक्षी राकेश त्रिवेदी (प्रति.सा.4) का कथन है कि उसके द्वारा दी गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श डी 40 है जो 12 पृष्ठों में है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विवादित फोटोग्रॉफ प्रदर्श डी 41 लगायत 45 है जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विक्रयपत्र पर मौजूद मोहनी गुप्ता के स्वीकृत हस्ताक्षरों के विस्तारित फोटोग्रॉफ प्रदर्श डी 46 लगायत प्रदर्श डी 54 है जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य अधिनियम का

प्रमाणपत्र प्रदर्श डी 55 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विवादित और स्वीकृत हस्ताक्षरों के फोटोग्राफ की सी.डी. प्रदर्श डी 56 है जिसके कवर पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर मौजूद है।

61. हस्तलिपि विशेषज्ञ की साक्ष्य के संबंध में वादी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि प्रतिवादीगण की ओर से परीक्षित कराये गये विशेषज्ञ साक्षी हस्तलिपि विशेषज्ञ नहीं है और इस बारे में कोई अनुभव प्राप्त नहीं है और इसलिए उनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस संबंध में वादी की ओर से न्यायदृष्टांत बालकृष्णदास अग्रवाल विरूद्ध **श्रीमती राधादेवी एवं अन्य एआईआर 1989 इलाहाबाद 133** तथा **लक्ष्मीचंद खजूरिया विरूद्ध श्रीमती इसरूदेवी ए.आई.आर. 1977 सुप्रीम कोर्ट 1694** प्रस्तुत किये गये हैं। उपरोक्त बालकृष्ण वाले मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि हस्तलिपि विशेषज्ञ की विशेषज्ञ के तौर पर सक्षमता साबित की जानी चाहिए। उपरोक्त लक्ष्मीचंद वाले मामले में हस्तलिपि विशेषज्ञ पर्याप्त रूप से योग्य नहीं पाया गया था और उसकी योग्यताएं ऐसी नहीं थी कि उसे हस्तलिपि विशेषज्ञ के तौर पर स्वीकार किया जा सके।

62. वादी अधिवक्ता की ओर से यह तर्क भी किया गया है कि वादी द्वारा हस्तलिपि विशेषज्ञ से प्राईवेट तौर पर दस्तावेजों का परीक्षण कराया गया है और उनके द्वारा दी गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 12 अपनी साक्ष्य में प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट को प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है और न ही कहीं विवादित किया गया है कि इसलिए प्रदर्श पी 12 की रिपोर्ट अखंडित रही है औरउसके आधार पर यह साबित होता है कि प्रश्नगत दस्तावेज वसीयतनामा पर मौजूद मोहिनी गुप्ता के हस्ताक्षर मोहिनी गुप्ता द्वारा नहीं किये गये हैं। इस संबंध में वादी की ओर से न्यायदृष्टांत **मोहम्मद सैययद एवं अन्य विरूद्ध हिन्दुस्तान पेट्रोलियम एवं अन्य 2004(1) जेएलजे 199** भी प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि मुख्यपरीक्षण

में किये गये कथनों का कोई प्रतिपरीक्षण न किये जाने से उन्हें स्वीकार किया जा सकता है।

63. उभयपक्षों की ओर से किये गये तर्कों के आलोक में हस्तलिपि विशेषज्ञ की साक्ष्य पर भी विचार किया गया।

64. वर्तमान मामले में वादी की ओर से प्रदर्श पी 12 के रूप से साक्ष्य में हस्तलिपि विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और उसे साक्ष्य में प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्श पी 12 की रिपोर्ट पर हस्तलिपि विशेषज्ञ के रूप में एम.एम. एक्कड का नाम उल्लेखित किया गया है अर्थात् उक्त रिपोर्ट विशेषज्ञ एम.एम. कक्कड द्वारा तैयार की गई है। उक्त एम.एम. कक्कड को वादी की ओर से साक्षी के तौर पर इस मामले में प्रस्तुत किया गया है लेकिन रिपोर्ट जारी करने वाले उक्त एम.एम. कक्कड (वा.सा.2) ने इस संबंध में अपने मुख्यपरीक्षण में कोई कथन नहीं किये हैं कि प्रदर्श पी 12 की रिपोर्ट उन्होंने ही तैयार की थी। वास्तव में प्रदर्श पी 12 की रिपोर्ट एम.एम. कक्कड द्वारा तैयार की गई थी तब इस तथ्य को एम.एम. कक्कड (वा.सा.2) साक्ष्य में साबित कर सकते थे लेकिन उन्होंने प्रदर्श पी 12 की रिपोर्ट के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं और तब प्रदर्श पी 12 की रिपोर्ट को मात्र इस आधार पर साबित नहीं माना जा सकता है कि उक्त रिपोर्ट में प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है।

65. वर्तमान मामले में वादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी एम.एम. कक्कड (वा.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में यह स्वीकार किया है कि उसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 44 की कंडिका 7 में विवादित हस्ताक्षर प्रदर्श डी 1 लगायत प्रदर्श डी 5 तथा स्वीकृत हस्ताक्षर प्रदर्श ए1 लगायत ए9 में अक्षरों की शक्लों में समानता होना लेख किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि विवादित और मान्य हस्ताक्षरों के बीच 2 साल का अंतर है और समय के अंतराल से एक ही लेखक के हस्ताक्षरों में स्वाभाविक भिन्नता आती है। उसने यह

भी स्वीकार किया है कि हस्ताक्षर करने के स्थान पर हस्ताक्षर करते समय हस्ताक्षरकर्ता की मनोदशा का प्रभाव भी हस्ताक्षरों पर पड़ता है। खडे होकर, बैठकर, अथवा टेबल पर बैठकर हस्ताक्षर करने पर भी भिन्नता आ सकती है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी 1 लगायत डी 5 के हस्ताक्षर गाईडलाइन खींचकर किये गये है और प्रदर्श ए1 लगायत ए9 के हस्ताक्षर भी गाईडलाईन खींचकर किये गये हैं।

66. इस प्रकार स्वयं वादी की ओर से प्रस्तुत हसतलिपि विशेषज्ञ मदन मोहन कक्कड (वा.सा.2) के द्वारा प्रतिपरीक्षण में की गई स्वीकारोक्तियों से यह स्पष्ट है कि उसने द्वारा वसीयतनामा पर मौजूद विवादित हस्ताक्षर और विक्रय पत्र पर मौजूद मोहनी गुप्ता के स्वीकृत हस्ताक्षरों के मध्य अक्षरों की शक्लों में समानता पाई गई थी। स्वयं साक्षी के अनुसार समय के अंतराल के कारण और हस्ताक्षर करने के स्थान और स्थिति के कारण भी अक्षरों की शक्लों में स्वाभाविक भिन्नता आती है।

67. वसीयतनामा के संबंध में प्रकरण में उपस्थित अन्य परिस्थितियों पर भी विचार किया गया। वादी की ओर से वादपत्र में यह अभिवचन किया गया है कि वादी की मां मोहनी गुप्ता ने दिनांक 12.10.2012 को कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया। प्रतिवादीगण ने वादी से कहा कि वह संपत्ति का बराबर–बराबर हिस्सा करेंगे। उक्त बात पर वादी ने अविश्वास नहीं किया और इसलिए कोई विरोध नहीं किया लेकिन प्रतिवादीगण ने अपना अपना नाम मां की पूरी संपत्ति पर चढवा लिया और वादी को हिस्सा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद वादी ने वसीयतनामा पर मौजूद हस्ताक्षर मां के मूल हस्ताक्षरों से मिलाये तो वादी को स्पष्ट हुआ कि मां की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण ने वसीयतनामा पर कूटरचित तौर पर हस्ताक्षर किये है। वही प्रतिवादीगण का उक्त संबंध में यह अभिवचन रहा है कि मां द्वारा दिनांक 12.10.2012 को वसीयतनामा निष्पादित किया गया और उसी के आधार पर प्रतिवादगण का नाम

विवादित संपत्ति पर दर्ज हुआ है और नामांतरण कार्यवाही में वादी ने शपथ पत्र पर अपनी स्वयं की सहमति दी है।

68. उक्त संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा वसीयतनामा के आधार पर प्रस्तुत नामांतरण प्रकरण संबंधी दस्तावेज प्रदर्श डी 1 लगायत डी 3 प्रस्तुत किये हैं। उक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रतिवादीगण का यह तर्क रहा है कि स्वयं वादी ने वसीयतनामा के निष्पादन को स्वीकार किया है, इसलिए अब वह वसीयतनामा को चुनौती नहीं दे सकता है। वहीं वादी का यह तर्क रहा है कि उक्त दस्तावेज राजस्व मामले में अभिलिखित कार्यवाही है और उसके आधार पर वर्तमान मामले में वसीयतनामा के निष्पादन को साबित नहीं माना जा सकता है। अपने उक्त तर्कों के समर्थन में वादी की ओर से न्यायदृष्टांत **म.प्र. राज्य विरूद्ध बाबूलाल 2006 रा.नि. 149** प्रस्तुत किया गया है और प्रतिवादीगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्यायदृष्टांत **विशंभर दयाल एवं अन्य विरूद्ध नगरपालिका परिषद कैलारस 2010 (II) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 56** प्रस्तुत किये गये हैं। वादी का यह तर्क भी रहा है कि नामांतरण कार्यवाही से कोई स्वत्व अर्जित नहीं होता है और उक्त तर्क के समर्थन में वादी की ओर से न्यायदृष्टांत **महिला बजरंग द्वारा विधिक प्रतिनिधि विरूद्ध बद्रीबाई और अन्य (2003) ए.आई.आर (एस.सी.डब्ल्यू.) 129** भी प्रस्तुत किया गया है।

69. उक्त संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से प्रदर्श डी 1 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से दर्शित है कि प्रतिवादी रजनीकांत द्वारा वसीयतनामा दिनांक 12.10.2012 के आधार पर नजूल अधिकारी कटनी के समक्ष दिनांक 14.05.2013 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्श डी 2 के दस्तावेज के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त राजस्व मामले में वादी चंद्रकांत के नजूल अधिकारी के समक्ष कथन अंकित हुये है जिसमें उसके द्वारा यह बताया गया है कि उसकी मां मोहनी गुप्ता द्वारा अपने जीवनकाल में वसीयत की थी और उक्त वसीयत में नजूल सीट नं. 26ए का प्लॉट नं. 118 रजनीकांत को दिया गया है, इसलिए वसीयत के आधार पर

संपत्ति रजनीकांत के नाम किये जाने पर चंद्रकांत को कोई आपत्ति नहीं है और प्रदर्श डी 3 के दस्तावेज के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त दस्तावेज स्थल पंचनामा है।

70. उक्त संबंध में वादी चंद्रकांत (वा.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 29 में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी 1 की आदेश पत्रिका के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी 2 के ए से ए भाग पर भी उसके हस्ताक्षर है। इस प्रकार वादी चंद्रकांत ने वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु प्रस्तुत प्रकरण में अपनी उपस्थिति स्वीकार की है और उसने प्रदर्श डी 2 के बयान देना भी स्वीकार किया है जिससे यह स्पष्ट है कि वसीयतनामा के आधार पर प्रस्तुत नामांतरण प्रकरण में स्वयं वादी द्वारा वसीयतनामा के आधार पर प्रतिवादी रजनीकांत का नाम वसीयतनामा में उल्लेखित संपत्ति पर दर्ज किये जाने में अनापत्ति की गई है।

71. इसी प्रकार प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श डी 12 के दस्तावेज के अवलोकन से दर्शित है कि प्रतिवादी पंकज गुप्ता द्वारा वसीयतनामा के आधार पर नगर पालिक निगम में नामांतरण प्रकरण प्रस्तुत किया गया है और प्रदर्श डी 17 के दस्तावेज के अवलोकन से दर्शित है कि प्रतिवादी रजनीकांत एंव वादी चंद्रकांत द्वारा उक्त प्रकरण में भी मालवीयगंज स्थित मकान नं. 124 भवन पंकज गुप्ता के नाम दर्ज किये जाने पर वादी चंद्रकांत द्वारा अनापत्ति की गई है। वादी चंद्रकांत ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 22 में यह भी स्वीकार किया है कि नामांतरण कार्यवाही में प्रदर्श पी 18 की वसीयत भी प्रस्तुत की गई थी।

72. इस प्रकार उक्त दस्तावेजों के आधार पर और स्वयं वादी चंद्रकांत के द्वारा प्रतिपरीक्षण में की गई स्वीकारोक्तियों के आधार पर यह दर्शित है कि वर्तमान मामले में प्रस्तुत प्रदर्श पी 18 के वसीयतनामा के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा नामांतरण की कार्यवाही

की गई है और वादी द्वारा स्वयं वसीयतनामा के आधार पर प्रतिवादीगण का नामांतरण वसीयतनामा में उल्लेखित संपत्तियों पर किया गया है। यद्यपि उक्त कार्यवाही और वादी की स्वीकारोक्ति मात्र के आधार पर वसीयत प्रमाणित नहीं मानी जा सकती। लेकिन उक्त दस्तावेजों से यह तथ्य अवश्य स्पष्ट होता है कि वादी चंद्रकांत द्वारा वसीयत के आधार पर प्रतिवादीगण का नामांतरण किये जाने में अनापत्ति की गई है और उक्त कार्यवाही में वसीयतनामा को कोई चुनौती नहीं दी गई और न ही वसीयतनामा की वैधता को प्रश्नगत किया गया है।

73. जहां तक प्रतिवादीगण के इस तर्क का प्रश्न है कि स्वयं वादी ने वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण में अपनी सहमति दी है और अब वह वसीयतनामा को चुनौती नहीं दे सकता है तब इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वास्तव में वादी द्वारा केवल नामांतरण के संबंध में सहमति दी गई है और यह सुस्थापित विधि है कि राजस्व अभिलेखों में केवल नामांतरण मात्र से कोई स्वत्व अर्जित नहीं होता है। वादी ने विवादित संपत्तियों में अपने स्वत्व का कोई त्याग किया हो अथवा हक त्याग किया हो, ऐसा कोई मामला प्रतिवादीगण का नहीं है। वास्तव में अचल संपत्ति में अपने हक का त्याग रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से ही किया जा सकता है। लेकिन मामले में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह दर्शित होता हो कि वादी ने अपने हक का त्याग कर दिया है। केवल नामांतरण कार्यवाही में अपनी सहमति प्रदान किये जाने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि वादी ने संपत्ति में अपने हक का परित्याग किया है।

74. वर्तमान मामले में वसीयतनामा प्रदर्श पी 8 का निष्पादन विधिवत रूप से प्रमाणित हुआ हैं। हस्तलिपि विशेषज्ञ मदन मोहन कक्कड (वा.सा.2) की साक्ष्य मात्र एक विशेषज्ञ की राय है और उसकी राय मात्र के आधार पर यह साबित नहीं माना जा सकता कि वसीयतनामा प्रदर्श डी 18 पर मौजूद मोहनी गुप्ता के हस्ताक्षर फर्जी

अथवा कूटरचित है और वह हस्ताक्षर मोहनी गुप्ता द्वारा नहीं किये गये है बल्कि प्रतिवादीगण द्वारा कूटरचित तौर पर बनाये गये हैं।

75. इस प्रकार प्रतिवादीगण की ओर से प्रदर्श पी 18 के वसीयतनामा का निष्पादन विधिवत् प्रमाणित किया गया है और उक्त वसीयतनामा के आधार पर यह साबित होता है कि दिनांक 12.10.2012 को मोहनी गुप्ता द्वारा प्रदर्श डी 18 का वसीयतनामा निष्पादित किया गया था।

76. उक्त संबंध में वादी अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया है कि विवादित संपत्ति पैतृक संपत्ति थी और मोहनी गुप्ता को संपूर्ण संपत्ति की वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। संपत्ति में मोहनी गुप्ता के साथ उसके तीनों पुत्रों वादी एवं प्रतिवादीगण का बराबर हक हिस्सा था। इसलिए मोहनी गुप्ता द्वारा समस्त संपत्ति के संबंध में निष्पादित विल अवैध एवं शून्य है। उक्त तर्क के समर्थन में वादी की ओर से न्यायदृष्टांत **हरेन्द्र सिंह एवं अन्य विरूद्ध गोविंद सिंह एवं अन्य 2024(1) रा.नि. 102** प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां भूमि स्वामी की मृत्यु के पश्चात् विधवा पत्नी का नामांतरण हुआ और विधवा पत्नी ने अपनी समस्त संपत्ति के विषय में विल निष्पादित की जबकि वह समस्त संपत्ति की हकदार नहीं थी बल्कि अपनी संतान के साथ समान अंश की हकदार थी तब उसके अंश से परे निष्पादित विल शून्य है। वहीं प्रतिवादीगण का यह तर्क रहा है कि वसीयत की संपत्ति में मां का स्वत्व होने से पूरे दावे में इनकार नहीं किया गया है और मां का स्वत्व होना स्वीकार किया गया है।

77. उभयपक्षों की ओर से किये जा रहे तर्कों के आलोक में वर्तमान मामले में उपलब्ध परिस्थितियों पर विचार किया गया। उपर की गई विवेचना के आधार पर यह साबित हुआ है कि गर्ग चौराहा मालवीयगंज वार्ड स्थित विवादित मकान, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में अ, ब, स, द से दर्शित किया गया है, कि एकमात्र स्वत्व व आधिपत्यधारी मोहनी गुप्ता थी इसलिए उसे उक्त संपत्ति व्ययनित करने का अथवा वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। चूंकि वसीयतनामा प्रदर्श पी 18 के मुताबिक उक्त मकान प्रतिवादी क्र. 2

पंकज को दिया गया है इसलिए प्रदर्श पी 18 के वसीयतनामा के आधार पर पंकज को उक्त भवन का स्वामित्व प्राप्त होना साबित है।

78. जहां तक झंडा बाजार रघुनाथगंज वार्ड कटनी स्थिति विवादित भवन का प्रश्न है तब यह साबित है कि उक्त भवन में वादी और प्रतिवादीगण की मां मोहनी गुप्ता का केवल 1/4 हक व हिस्सा रहा है। इसलिए मोहनी गुप्ता को अपने हक हिस्से के अनुसार ही संपत्ति की वसीयत करने का अधिकार था और उससे अधिक अंश की वसीयत निष्पादित नहीं की जा सकती थी। अतः 1/4 हिस्से से अधिक के संबंध में निष्पादित वसीयत वैध नहीं है।

79. झंडा बाजार स्थित मकान में वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी क्र. 1 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी क्र. 2 का 1/4 हिस्सा और मोहनी गुप्ता का 1/4 हिस्सा था। मोहनी गुप्ता द्वारा उक्त मकान की वसीयत प्रतिवादी क्र. 1 के पक्ष में निष्पादित की गई है इसलिए मकान में मोहनी गुप्ता के 1/4 हिस्सा भी प्रतिवादी क्र. 1 को प्राप्त होगाा और तब उक्त विवादित मकान में प्रतिवादी क्र. 1 का 1/2 अंश भाग पर, प्रतिवादी क्र. 2 का 1/2 अंश भाग पर और वादी का 1/4 अंश भाग पर स्वत्व है तथा वादी उक्त अनुसार ही अपने 1/4 अंश का विभाजन कराकर पृथक आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है।

80. वर्तमान मामले में प्रतिवादीगण की ओर से वाद की पोषणीयता के संबंध में अथवा वादी की ओर से प्रस्तुत वाद अवधि बाधित होने के संबंध में कोई अभिवचन नहीं किये हैं लेकिन मामले में अंतिम तर्क के दौरान प्रतिवादीगण का यह तर्क रहा है कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद अवधि बाधित है। प्रतिवादीगण का यह तर्क भी रहा है कि यह न्यायालय जवाबदावा में अभिवचन न होने पर भी परिसीमा के प्रश्न पर विचार करेगी अपने उक्त तर्कों के समर्थन में प्रतिवादीगण की ओर से न्यायदृष्टांत **दौलतराम विरूद्ध सरस्वती बाईएवं अन्य 2010 (1) एम.पी.जे.आर 28** प्रस्तुत किया है।

81. किये जा रहे तर्क और प्रस्तुत न्यायदृष्टांत के आलोक में उक्त संबंध में भी विचार किया गया। वादी की ओर से वर्तमान मामला स्वत्व घोषणा एवं विभाजन तथा पृथक आधिपत्य दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया

है और वादपत्र की कंडिका 9 में विभाजन के लिए वाद का कारण मां की मृत्यु के बाद दिनांक 21.12.2012 को उत्पन्न होना बताया गया है।

82. वास्तव में वादी के द्वारा वर्तमान मामले में वसीयतनामा दिनांक 12.10.2012 को चुनौती दी गई है और उक्त वसीयतनामा को अवैध एवं शून्य घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है और वादग्रस्त संपत्ति में सहस्वामी घोषित करते हुए विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। घोषणा के अनुतोष के लिए परिसीमा अधिनियम में 3 वर्ष की अवधि निर्धारित है। वादी की ओर से वर्तमान वाद दिनांक 18.11.2015 को प्रस्तुत किया गया है और वाद का कारण वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 21.12.2012 को उत्पन्न होना बताते हुए वाद प्रस्तुत किया गया है। वसीयतनामा वास्तव में वसीयतकर्ता के मृत्यु के पश्चात् ही प्रभावशील होती है और तब वसीयतनामा को शून्य घोषित कराने का वाद कारण उसकी मृत्यु दिनांक 21.12.2012 को ही उत्पन्न होगा और तब वसीयतनामा को शून्य घोषित कराये जाने के लिए प्रस्तुत यह वाद 3 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है अर्थात् प्रस्तुत वाद अवधि बाधित नहीं है और तब प्रतिवादीगण की ओर से अंतिम तर्क के दौरान की जा रही उक्त आपत्ति मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

83. इस प्रकार मामले में उपलब्ध साक्ष्य और उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह साबित होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की मां मोहनी गुप्ता द्वारा दिनांक 12.10.2012 को वसीयतनामा प्रदर्श डी 18 निष्पादित किया गया। यह भी साबित होता है कि गर्ग चौराहा हीरागंज वार्ड कटनी स्थित विवादित मकान, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में अ, ब, स, द से दर्शित किया गया है, कि एकमात्र स्वत्वधारी वादी एवं प्रतिवादीगण की मां मोहनी गुप्ता थी जिन्होनें उक्त मकान के संबंध में प्रतिवादी क. 2 के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया है इसलिए मोहनी गुप्ता की मृत्यु के बाद उक्त मकान का एकमात्र स्वतवधारी प्रतिवादी क. 2 है और वादी का उक्त विवादित मकान में कोई स्वत्व नहीं है। वादी के द्वारा वादपत्र में संशोधन के माध्यम से वादपत्र की कंडिका 5 में यह अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादी क. 2 ने उक्त भवन में तोडफोड की है और उसके विरूद्ध व्यादेश जारी किया जाये। प्रतिवादीगण का यह पक्ष रहा है कि प्रतिवादी क. 2 ने भवन निर्माण की अनुज्ञा

प्राप्त की है और निर्माण किया है। चूंकि उक्त भवन प्रतिवादी क्र. 2 के स्वामित्व का होना साबित है तब यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादी क्र. 2 द्वारा अवैधरूप से भवन में तोड फोड अथवा पुनर्निमाण किया जा रहा है।

84. उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह भी साबित होता है कि वर्तमान मामले में विवादित रघुनाथगंज वार्ड झंडा बाजार स्थित विवादित मकान, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में च,झ,ज,झ,ट,ठ अक्षर से वर्णित किया गया है, वादी एवं प्रतिवादीगण का पैतृक मकान है जिसमें पिता अनूप कुमार की मृत्यु के पश्चात् मोहनी गुप्ता का 1/4 अंश, वादी चंद्रकांत का 1/4 अंश, प्रतिवादी क्र. 1 का 1/4 अंश और प्रतिवादी क्र. 2 का 1/4 अंश पर स्वत्व रहा है और मोहनी गुप्ता को अपने 1/4 अंश की वसीयत करने का ही अधिकार रहा है, इसलिए वसीयतनामा दिनांक 12.10.2012 केवल मोहनी गुप्ता के 1/4 अंश तक ही वैध है और उसके द्वारा की गई वसीयत के आधार पर 1/4 अंश प्रतिवादी क्र. 1 को प्राप्त होता है। इस प्रकार उक्त विवादित मकान में वादी का 1/4 अंश पर, प्रतिवादी क्र. 1 का 1/2 अंश पर और प्रतिवादी क्र. 2 का 1/4 अंश पर स्वत्व है। वादी उक्त मकान में 1/4 भाग का विभाजन कराकर पृथक आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है।

85. अतः वादप्रश्न क्र. 1 का निष्कर्ष इस रूप में दिया जाता है कि वादी रघुनाथगंज वार्ड झंडा बाजार स्थित मकान, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में च, झ, ज, झ, ट, ठ से दर्शित किया गया है, में 1/4 भाग का स्वत्वधारी है। वादप्रश्न क्र. 7 का निष्कर्ष इस रूप मे ंदिया जाता है कि वादी केवल रघुनाथगंज वार्ड झंडा बाजार स्थित मकान, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में च, झ, ज, झ, ट, ठ से दर्शित किया गया है, में अपने 1/4 अंश का विभाजन कराकर पृथक आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है। वादप्रश्न क्र. 2 का निष्कर्ष ''प्रमाणित नहीं'' के रूप में अंकित किया जाता है। वादप्रश्न क्र. 3 का निष्कर्ष प्रमाणित के रूप में अंकित किया जा रहा है। वादपत्र क्र. 4 का निष्कर्ष ''प्रमाणित'' के रूप में अंकित किया जाता है। वादपत्र क्र. 6 का निष्कर्ष इस रूप में दिया जाता है कि अ, ब, स, द से दर्शित भवन पर निर्माण करने का प्रतिवादी क्र. 2 को अधिकार है।

86. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी आंशिक रूप से अपना मामला साबित करने में सफल रहा है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती हैः—

1. यह घोषित किया जाता है कि रघुनाथगंज वार्ड झंडा बाजार स्थित मकान, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में च, झ, ज, झ, ट, ठ से दर्शित किया गया है, में वादी चंद्रकांत 1/4 भाग का स्वत्वधारी है और वह अपने 1/4 भाग का विभाजन कराकर पृथक आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है।

2. हीरागंज वार्ड गर्ग चौराहा कटनी स्थित विवादित मकान, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में अ, ब, स, द से दर्शित किया गया है, का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी प्रतिवादी क्र. 2 है और उक्त मकान में वादी का कोई स्वत्व नहीं है इसलिए उक्त मकान के संबंध में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

3. प्रतिवादीगण अपना तथा वादी का वाद व्यय वहन करेंगे।

4. अभिभाषण शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार, जो भी कम हो, वाद व्यय में जोडी जाये।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित, मुद्रित कर घोषित किया गया।

सही/—
(नीरज कुमार शर्मा)
तृतीय जिला न्यायाधीश कटनी
जिला कटनी (म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित।

सही/—
(नीरज कुमार शर्मा)
तृतीय जिला न्यायाधीश कटनी
जिला कटनी (म.प्र.)